न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–532 / 2026

उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल बनाम् बिहार सरकार

देसरी थाना कांड संख्या–446 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 352, 109 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट

04-05-2026

देसरी थाना कांड संख्या–446 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 352, 109 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल उम्र–20 वर्ष पेसर–श्री पंकज ठाकुर** साकिन–नयागांव, पो0–नयागंज थाना–देसरी, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री विशाल कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–08.12.2025 को शाम 04.30 बजे करीब अपने घर से बाजार जा रहा था। सूचक अपने घर से जैसे ही थोड़ी दूर सुबोध कुमार सिंह के राशन की दुकान के पास पहुंचे की पहले से घात लगाए उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल गाली–गलौज करते हुए अपने हाथ में लिए पिस्तौल से सूचक पर जान मारने की नीयत से फायर किया जिससे बचने के क्रम में सूचक अपने मोटरसाइकिल से गिर गया परंतु गोली सूचक को नहीं लग सकी। जब वह दुबारा फायर किया जो फायर मिस होकर उज्ज्वल कुमार के दाएं हाथ में लगा। हल्ला पर स्थानीय लोग दौड़े परन्तु वह भाग गया। तब सूचक तुरंत स्थानीय थाना को अपने फोन से उक्त बात की सूचना दिया तब थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा घटनास्थल पर स्थानीय लोगों से घटना के संदर्भ में पूछताछ किया एवं चले गए। उसके बाद स्थानीय पंचों के द्वारा उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल के उपर पंचायत बैठाने की बात कही गई। तब सूचक दिनांक 15.12.2025 को उसके उपर पंचायत बैठाई। उस पंचायत में वह आने से इंकार कर दिया, जिस कारण से सूचक विलंब से आवेदन दाखिल किया। इसके पूर्व भी सूचक के पिता की हत्या सुशील साह के द्वारा की गई थी। उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल उसी गिरोह का सरगना है। जिस कारण सूचक को डर है कि वह उसकी भी हत्या कर सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवकता **श्री विशाल कुमार** का कथन है कि आवेदक के विरूद्ध देसरी थाना कांड संख्या–349 / 2024 एवं विदुपुर थाना कांड संख्या–75 / 2024 लंवित है एवं कथित घटना तिथि के समय आवेदक नाबालिग था,

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–532 / 2026

उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.05.2026

इसलिए उसे किशोर न्यायाल से जमान की सुविधा प्रदान की गई थी। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उक्त वाद की प्राथमिकी लगभग आठ दिनों के बाद दाखिल किया गया है जिसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचक द्वारा आवेदक के दाएं हाथ में गोली लगने व दो फायर करने की बात कही गई है जबकि सच्चाई यह है कि आवेदक को गोली सूचक के द्वारा जान से मार देने की नीयत से आवेदक के दरवाजे पर चलाए वो छिप जाने के क्रम में बाएं हाथ के कनिष्ठ उँगली में लगा वो एक ही फायर सूचक के द्वारा किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचक एक कुख्यात अपराधी है। उसका संबंध मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा से भी है। इसी के बल पर चरस बिक्री करता है। घटना के दिन सूचक आवेदक के दरवाजे पर आए और चरस पहुंचाने के लए बोला, मना करने पर जान से मारने की नीयत से आवेदक पर गोली चलाई। छिप जाने के क्रम में गोली आवेदक के बाएं हाथ के कनिष्ठ उँगली में लगा। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सारी घटना आवेदक के दरवाजे पर घटी थी न की सुबोध कुमार सिंह के राशन दुकान पर। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि कथित घटना तिथि के दिन स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा कोई सनहा भी नहीं किया गया है ऐसी परिस्थिति में सूचक के द्वारा दिया गया फर्दबयान गलत है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर गाली–गलौज करने एवं अपने हाथ में लिए पिस्तौल से सूचक पर जान मारने की नीयत से फायर करने का आरोप है, परंतु कांड दैनिकी की कंडिका 05 में नीतू देवी पति सुबोध कुमार सिंह ने कथित किया है कि मैं ग्राहक में बिजी थी मुझे कुछ पता नहीं चल पाया एवं हम ध्यान नहीं दिए। कांड दैनिकी की कंडिका 06 में सुबंश राजकुमार ने कथित किया है कि रंजीत पंडित के फोन पर उज्जवल कुमार उर्फ मंडल फोन किया एवं बताया कि सुजीत कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह गोली मार दिया है। महनार डॉक्टर के पास जा रहे है। मारपीट गाली–गलौज कुछ नहीं देखे है। कांड दैनिकी की कंडिका 07 में ऋषिकेश कुमार सिंह ने कथित किया है कि जैसे ही सुबोध कुमार सिंह के राशन

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–532 / 2026

उज्ज्वल कुमार उर्फ मंडल बनाम् बिहार सरकार

लगातार

04.05.2026 दुकान पास पहुंचे फायरिंग का आवाज सुनाई दिया तब हमलोग गिर गए, उसके बाद दो अन्य दोस्त के साथ तीनों भाग गए, फायरिंग वाले लोग को हम पहचानते नहीं है। कांड दैनिकी की कंडिका 08 में विनोद कुमार शर्मा ने कथित किया है कि उज्जवल कुमार उर्फ मंडल फायरिंग किया है जो गली से उसी के हाथ में लग गया है जिससे उसका हाथ फट गया है, उसके बाद उसके दो अन्य दोस्त उसको लेकर भाग गए एवं उसका ईलाज महनार अस्पताल में करवाए ऐसा हम सुने थे। फिर लोग कह रहे थे कि लालू उर्फ सुजीत कुमार सिंह गोली मार दिया लेकिन लालू उर्फ सुजीत कुमार सिंह यहां थे ही नहीं। साक्षियों के साक्ष्य में समरूपता नहीं है न ही उनका साक्ष्य यथावत है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official